

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ ज्येष्ठ 20, 1938 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 59  
No. 3] DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938 [N.C.T.D. No. 59

भाग—III

PART— III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग  
अधिसूचना

दिल्ली, 7 जून, 2016

दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2016

सं. एफ. 17(85)/इंजि./डीईआरसी/2013-14/4074/520.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अंतर्गत रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में और विद्युत अधिनियम, 2003 की धाराओं 57, 86 तथा 181 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा "दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक विनियम, 2007" (इसके पश्चात "मुख्य विनियम" के रूप में उल्लिखित) में, संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :-

**1.0 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन**

- (1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाए।
- (2) ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

**2.0 मुख्य विनियमों के विनियम 63 में संशोधन:**

"शिकायत दायर करने की प्रक्रिया" संबंधी मुख्य विनियमों के विनियम 63 के खंड (vi) की विषयवस्तु का संशोधन निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके किया जाएगा:

"vi. निर्धारित समय सीमा में शिकायतों के समाधान के संबंध में सभी शिकायतों की निगरानी केंद्रीकृत शिकायत प्राप्ति केंद्र द्वारा की जाएगी।

आयोग द्वारा समय-समय पर सूचीबद्ध बिजली कटौती (आउटेज) का ब्योरा विनिर्दिष्ट किए अनुसार सूचित किया जाएगा।

अनुज्ञापिधारी दिल्ली में सभी असूचीबद्ध बिजली कटौती (आउटेजों) की सूचना लोकपाल को प्रस्तुत करेगा। दैनिक असूचीबद्ध बिजली कटौती का सार असूचीबद्ध बिजली कटौती के दो दिन के भीतर तथा व्यक्तिगत बिजली कटौती का ब्योरा, क्षतिपूर्ति, यदि

कोई हो, के साथ इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में, असूचीबद्ध बिजली कटौती के 105 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।”

### 3.0 मुख्य विनियमों के विनियम 69 में संशोधन:

‘छूट’ संबंधी मुख्य विनियमों के विनियम 69 के पाठ का संशोधन निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके किया जाएगा:

“(i) इस विनियम में निर्धारित निष्पादन के मानक अप्रत्याशित घटनाओं जैसे युद्ध, विद्रोह, नागरिक विरोध, दंगा, बाढ़, चक्रवात, बिजली गिरना, भूकंप, तालाबंदी, अग्नि, तोड़-फोड़, नाकाबंदी आदि जोकि अनुज्ञापिधारी की स्थापनाओं और गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, की स्थिति में निलंबित रहेंगे।

(ii) राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता तथा/अथवा केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता, ग्रिड विफलता, ट्रांसमिशन लाइसेंसी नेटवर्क में ब्रुटि या राज्य लोड डिस्चैज केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण अथवा किसी अन्य कारण से यदि उल्लंघन होता है तो ऐसा उल्लंघन जिस पर वितरण अनुज्ञापिधारी का यथोचित नियंत्रण नहीं है, इस विनियम में मौजूद मानक के गैर-अनुपालन को उल्लंघन नहीं माना जाएगा और वितरण अनुज्ञापिधारी, को प्रभावित उपभोक्ता(ओं) को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी।”

### 4.0 मुख्य विनियमों की अनुसूची-1 में संशोधन:

निष्पादन के गारंटीशुदा मानक” संबंधी मुख्य विनियमों में अनुसूची-1 के “विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन” के खंड-1 की विषयवस्तु को संशोधित करके निम्न रूप में बदला जाएगा:

विद्युत आपूर्ति विफलता के कारण की प्रकृति	बहाली हेतु अधिकतम समय-सीमा
(i) फ्यूज उड़ना अथवा मिनिचर सर्किट ब्रेकर गिरना	तीन घंटे के भीतर
(ii) सर्विस लाइन टूटना, खम्भे से सर्विस लाइन घटक जाना	तीन घंटे के भीतर
(iii) वितरण लाइन / सिस्टम में खराबी, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	वैकल्पिक स्रोत से दो घंटे के भीतर बहाल करने हेतु अस्थायी आपूर्ति
	खराबी का परिशोधन तथा इसके उपरांत 12 घंटे के भीतर सामान्य विद्युत आपूर्ति की बहाली
(iv) वितरण ट्रांसफार्मर में विफलता/जल जाना, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	दो घंटे के भीतर मोबाइल ट्रांसफार्मर अथवा अन्य बैक-अप के जरिए आपूर्ति की अस्थायी बहाली।
	48 घंटे के भीतर खराब हुए ट्रांसफार्मर की बहाली
(v) हाइटैन्शन मैन्स विफल हो जाना, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	दो घंटे के भीतर विद्युत आपूर्ति की अस्थायी बहाली।
	12 घंटे के भीतर खराबी में परिशोधन।

(vi) ग्रिड (33 केवी अथवा 66 केवी) सबस्टेशन में समस्या, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	दो घंटे के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की बहाली।
	वैकल्पिक स्रोत पर अधिक भार पड़ने से बचाने हेतु रोस्टर आधारित भार का कम किया जाना।
	48 घंटे के भीतर गरमता तथा सामान्य आपूर्ति की बहाली।
(vii) विद्युत ट्रांसफार्मर की विफलता, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	दो घंटे के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की बहाली।
	वैकल्पिक स्रोत पर अधिक भार पड़ने से बचाने हेतु रोस्टर आधारित भार का कम किया जाना।
	72 घंटों के भीतर कमीशन को प्रतिस्थापन/संशोधन कार्रवाई सूचित की जाए तथा 15 दिनों में विद्युत ट्रांसफार्मर की प्रतिस्थापन करना/बदलना।
(viii) सूचीबद्ध विद्युत कटौती (आउटेज)	12 घंटों से अधिक नहीं होगी तथा 6.00 बजे अपराह्न तक आपूर्ति की बहाली होगी।
(ix) रोस्टर लोड शैडिंग, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	वैकल्पिक स्रोत पर अधिक भार पड़ने से बचाने के लिए रोस्टर आधारित लोड शैडिंग करना तथा विशेष क्षेत्र में लोड शैडिंग एक बार में दो घंटे से अधिक नहीं होगा।
(x) मीटर का जल जाना	छह घंटे के भीतर जले हुए मीटर को बाइपास करके आपूर्ति की बहाली।
	तीन दिन में जले हुए मीटर को बदलना
(xi) स्ट्रीट लाइट की खराबी	72 घंटे में बहाली

[स्पष्टीकरण: वह विद्युत कटौती जिसका ब्योरा अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर एक दिन पहले से उपलब्ध होता है, सूचीबद्ध विद्युत कटौती कहलाएगी। उचित होगा कि अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से एसएमएस भी भेजे।]

#### 5.0 मुख्य विनियमों के अनुसूची-III में संशोधन

(क) "निष्पादन के गारंटीशुदा मानक तथा चूक के मामले में उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति" संबंधी मुख्य विनियमों की अनुसूची-III में "विद्युत आपूर्ति की विफलता" संबंधी अनुच्छेद 6 की विषयवस्तु को निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके संशोधन किया जाएगा:

सर्विस क्षेत्र	मानक	गारंटीशुदा मानकों को पूर्ण न करने के मामले में उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति
<b>6. विद्युत आपूर्ति की विफलता</b>		
(i) फ्यूज उड़ना अथवा एमसीबी गिरना	तीन घंटे के भीतर	प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा

(ii) सर्विस लाइन टूटना, खम्भे से सर्विस लाइन चटक जाना	तीन घंटे के भीतर	प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा
(iii) वितरण लाइन / सिस्टम में खराबी, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	वैकल्पिक स्रोत से दो घंटे के भीतर बहाल करने हेतु अस्थायी आपूर्ति	चूक के पहले दो घंटे के लिए प्रति उपभोक्ता 50 रुपए प्रति घंटा इसके बाद प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा
	खराबी का परिशोधन तथा इसके उपरांत 12 घंटे के भीतर सामान्य विद्युत आपूर्ति की बहाली	-
(iv) वितरण ट्रांसफार्मर में विफलता/जल जाना, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	दो घंटे के भीतर मोबाइल ट्रांसफार्मर अथवा अन्य बैक-अप के जरिए आपूर्ति की अस्थायी बहाली।	चूक के पहले दो घंटे के लिए प्रति उपभोक्ता 50 रुपए प्रति घंटा इसके बाद प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा
	48 घंटे के भीतर खराब हुए ट्रांसफार्मर की बदली	-
(v) हाइटैन्शन मैन्स विफल हो जाना, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	दो घंटे के भीतर विद्युत आपूर्ति की अस्थायी बहाली।	चूक के पहले दो घंटे के लिए प्रति उपभोक्ता 50 रुपए प्रति घंटा इसके बाद प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा
	12 घंटे के भीतर खराबी में परिशोधन।	-
(vi) गिड (33केवी अथवा 66 केवी) सबस्टेशन में समस्या, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	दो घंटे के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की बहाली।	चूक के पहले दो घंटे के लिए प्रति उपभोक्ता 50 रुपए प्रति घंटा इसके बाद प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा
	वैकल्पिक स्रोत पर अधिक भार पड़ने से बचाने हेतु रोस्टर आधारित भार का कम किया जाना।	-
(vii) विद्युत ट्रांसफार्मर की विफलता, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	48 घंटे के भीतर मरम्मत तथा सामान्य आपूर्ति की बहाली।	-
	दो घंटे के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की बहाली।	चूक के पहले दो घंटे के लिए प्रति उपभोक्ता 50 रुपए प्रति घंटा इसके बाद प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा

	वैकल्पिक स्रोत पर अधिक भार पड़ने से बचाने हेतु रोस्टर आधारित भार का कम किया जाना।	-
	प्रतिस्थापन/संशोधन कार्रवाई 72 घंटों के भीतर कमीशन को सूचित की जाए तथा 20 दिनों में विद्युत ट्रांसफार्मर की प्रतिस्थापन/परिशोधन किया जाना।	-
(viii) सूचीबद्ध विद्युत कटौती	12 घंटों से अधिक नहीं होगा तथा उचित होगा कि 6.00 बजे अपराह्न तक आपूर्ति की बहाली की जाए।	-
(ix) रोस्टर लोड शैडिंग, 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित	वैकल्पिक स्रोत पर अधिक भार पड़ने से बचने के लिए रोस्टर आधारित लोड शैडिंग करना तथा विशेष क्षेत्र में लोड शैडिंग एक बार में दो घंटे से अधिक नहीं होगा।	चूक के पहले दो घंटे के लिए प्रति उपभोक्ता 50 रुपए प्रति घंटा इसके बाद प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा
(x) स्ट्रीट लाइट की खराबी	72 घंटे में बहाली	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए

(ख) अनुच्छेद 6 के लिए निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी गयी है:-

टिप्पणी: यदि प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या 100 तक है तो विद्युत आपूर्ति की बहाली का अधिकतम समय 3 घंटे होगा तथा देय क्षतिपूर्ति विनिर्दिष्ट 3 घंटों से परे प्रति उपभोक्ता 100 रुपए प्रति घंटा होगी।

(ग) "निष्पादन के गारंटीशुदा मानक तथा चूक के मामले में उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति" संबंधी मुख्य विनियमों की अनुसूची-III की तालिका के अंत में "क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की पद्धति" के खंड 2 के बाद निम्न खंडों को जोड़ा जाएगा:

4. विद्युत आपूर्ति की विफलता (अनुसूची-III का अनुच्छेद 6) के लिए क्षतिपूर्ति:

- (i) विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादन के मानक पूर्ण करने में विफल होने के कारण, अनुज्ञप्तिधारी नब्बे (90) दिनों के भीतर बिजली आपूर्ति हेतु वर्तमान तथा/अथवा भावी बिलों में समायोजन के माध्यम से प्रभावित उपभोक्ता(ओं) को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।
- (ii) बिजली आपूर्ति की विफलता के मामले में, क्षतिपूर्ति के भुगतान के उद्देश्य के लिए चूक अवधि को प्रथम शिकायत मिलने के समय से बिजली की आपूर्ति की बहाली होने तक, बहाली की निर्धारित अवधि को छोड़कर माना जाएगा।
- (iii) यदि अनुज्ञप्तिधारी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असफल होता है तो प्रभावित व्यक्ति लोकपाल के पास जा सकता है।
- (iv) यदि क्षतिपूर्ति का दावा लोकपाल द्वारा सही माना जाता है, तो इन विनियमों की अनुसूची-III के अनुसार लोकपाल द्वारा क्षतिपूर्ति का निर्धारण 5000/- रुपए की दर से अथवा देय क्षतिपूर्ति की पांच गुना राशि जो भी अधिक हो, किया जाएगा।
- (v) यदि क्षतिपूर्ति लोकपाल द्वारा सुरक्षित सही मानी जाती है तथा अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित उपभोक्ता(ओं) को क्षतिपूर्ति अदा करने में विफल रहता है तो प्रभावित उपभोक्ता(ओं) इस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए आयोग के पास जा सकते हैं।
- (vi) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि अनुज्ञप्तिधारी के समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में वसूल किए जाने के लिए स्वीकृत नहीं होगी।

यू. के. त्यागी, सचिव

## DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

## NOTIFICATION

Delhi, the 7th June, 2016

**Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Fourth Amendment) Regulations, 2016**

F. 17(85)/Engg./DERC/13-14/4074/520.—Pursuant to the directions received from the Government of NCT of Delhi under Section 108 of the Electricity Act, 2003 and in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Electricity Act, 2003, read with Sections 57, 86 and 181 of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the “Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007” (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”):

**1.0 Short title and commencement**

(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Fourth Amendment) Regulations, 2016.

(2) These regulations shall become applicable with immediate effect.

**2.0 Amendment of Regulation 63 of Principal Regulations:**

The contents of clause (vi) of Regulation 63 of the Principal Regulations on ‘Procedure for lodging complaint’ shall be amended by substituting the following :

“vi. All complaints shall be monitored by the Centralized Complaint Receiving Centre regarding resolution of the complaint within the stipulated time limit.

The details of scheduled Power Outages shall be informed in the manner as may be specified by the Commission from time to time.

The Licensee shall submit to the Ombudsman, the information of all unscheduled power outage of their area in Delhi. The summary of daily unscheduled power outages shall be submitted within 2 days of the unscheduled power outages and details of individual power outage along with compensation, if any, within 105 days of unscheduled power outage in the format to be prescribed under these Regulations.”

**3.0 Amendment of Regulation 69 of Principal Regulations:**

The text of Regulation 69 of the Principal Regulations on ‘Exemption’ shall be amended by substituting the following :

“(i) The standards of performance specified in this Regulation shall remain suspended during Force Majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot, flood, cyclone, lightning, earthquake, lockout, fire, sabotage, blockade etc., affecting the Licensee’s installations and activities.

(ii) Non-compliance of a standard contained in this Regulation shall not be treated as a violation, and the distribution licensee shall not be required to pay any compensation to affected consumer(s), if such violation is caused due to State Transmission Utility and/or Central Transmission Utility, grid failure, a fault on the Transmission Licensee’s network or on account of instructions given by State Load Dispatch Center, or any other reason, over which the distribution licensee has no reasonable control.”

**4.0 Amendment of Schedule-I of Principal Regulations:**

The contents of clause 1 regarding ‘restoration of Power Supply’ of Schedule-I of the Principal Regulations on ‘GUARANTEED STANDARDS OF PERFORMANCE’ shall be amended by substituting the following :

Nature of cause of power supply failure	Maximum Time Limit for restoration
(i) Fuse blown out or Miniature Circuit Breaker tripped	Within three hours
(ii) Service line broken, Service line snapped from the pole	Within three hours
(iii) Fault in distribution line/system, affecting more than 100 consumers	Temporary Supply to be restored within two hours from alternate source.
	Rectification of fault and thereafter Restoration of normal power supply within twelve hours
(iv) Distribution transformer failed/burnt, affecting more than 100 consumers	Temporary Restoration of supply through mobile transformer or another backup source within two hours.
	Replacement of failed transformer within forty-eight hours
(v) High Tension mains failed, affecting more than 100 consumers	Temporary restoration of power supply within two hours.
	Rectification of fault within twelve hours.
(vi) Problem in grid (33 kV or 66 kV) substation, affecting more than 100 consumers	Restoration of supply from alternate source, within two hours.
	Roster load shedding may be carried out to avoid overloading of alternate source.
	Repair and restoration of normal supply within forty-eight hours.
(vii) Failure of Power Transformer, affecting more than 100 consumers	Restoration of supply from alternate source, within two hours.
	Roster load shedding may be carried out to avoid overloading of alternate source.

	Replacement/rectification action to be intimated to the Commission within seventy-two hours and replacement /rectification of power transformer within 15 days.
(viii) Scheduled Power Outages	Shall not exceed 12 hours and the restoration of supply preferably by 6:00PM
(ix) Roster Load Shedding, affecting more than 100 consumers,	Roster load shedding may be carried out to avoid overloading of alternate source and the load shedding in a particular area shall not exceed two hours in a stretch.
(x) Burnt meter	Restoration of supply by bypassing the burnt meter within six hours.
	Replacement of burnt meter within three days
(xi) Street light faults	Restoration within seventy-two hours

[Explanation: - A Power outage whose details are available one day in advance on the website of the Licensee shall be termed as Scheduled Power Outages. Preferably, the Licensee shall also send the SMS to the affected consumers in advance. ]

#### 5.0 Amendment of Schedule-III of Principal Regulations:

(a) The contents of article 6 regarding 'Power Supply failure' in the Schedule-III of the Principal Regulations on 'GUARANTEED STANDARDS OF PERFORMANCE AND COMPENSATION TO CONSUMERS IN CASE OF DEFAULT' shall be amended by substituting the following :

Service area	Standard	Compensation payable to consumer in case of failure to meet guaranteed Standards
<b>6. Power Supply Failure</b>		
(i) Fuse blown out or MCB tripped	Within three hours	Rs. 100 per hour per consumer
(ii) Service line broken, Service line snapped from the pole	Within three hours	Rs. 100 per hour per consumer
(iii) Fault in distribution line/system affecting more than 100 consumers	Temporary Supply to be restored within two hours from alternate source.	Rs. 50 per hour per consumer for first two hours of default thereafter Rs. 100 per hour per consumer
	Rectification of fault and thereafter Restoration of normal power supply within twelve hours	-



(iv) Distribution transformer failed/burnt, affecting more than 100 consumers	Temporary Restoration of supply through mobile transformer or another backup source within two hours.	Rs. 50 per hour per consumer for first two hours of default thereafter Rs. 100 per hour per consumer
	Replacement of failed transformer within forty-eight hours	-
(v) HT mains failed, affecting more than 100 consumers	Temporary restoration of power supply within two hours.	Rs. 50 per hour per consumer for first two hours of default thereafter Rs. 100 per hour per consumer
	Rectification of fault within twelve hours.	-
(vi) Problem in grid (33 kV or 66 kV) substation, affecting more than 100 consumers	Restoration of supply from alternate source, within two hours.	Rs. 50 per hour per consumer for first two hours of default thereafter Rs. 100 per hour per consumer
	Roster load shedding may be carried out to avoid overloading of alternate source.	-
	Repair and restoration of supply within forty-eight hours.	-
(vii) Failure of Power Transformer, affecting more than 100 consumers	Restoration of supply from alternate source, within two hours.	Rs. 50 per hour per consumer for first two hours of default thereafter Rs. 100 per hour per consumer
	Roster load shedding may be carried out to avoid overloading of alternate source.	-
	Replacement/rectification action to be intimated to the Commission within seventy-two hours and replacement /rectification of power transformer within 20 days.	-
(viii) Scheduled Power Outages	Shall not exceed 12 hours and the restoration of supply preferably by 6:00PM	-
(ix) Roster Load Shedding, affecting more than 100 consumers	Roster load shedding may be carried out to avoid overloading of alternate	Rs. 50 per hour per consumer for first two hours of default thereafter Rs. 100 per hour per consumer

	source and the load shedding in a particular area shall not exceed two hours in a stretch.	
(x) Street light faults	Restoration within seventy-two hours	Rs. 50 for each day of default

(b) Following note to point to article 6 is added

**Note:** In case number of consumers affected is up to 100, the maximum time for restoration of power supply shall be 3 hours and compensation payable shall be Rs.100 per hour per consumer beyond the specified 3 hours

(c) The following clauses shall be added after clause 3 of 'Manner of payment of compensation amount' at the end of table of Schedule-III of the Principal Regulations on 'GUARANTEED STANDARDS OF PERFORMANCE AND COMPENSATION TO CONSUMERS IN CASE OF DEFAULT':

4. Compensation for power supply failure (Article 6 of Schedule-III):

(i) In case of power supply failure, the licensee shall pay compensation to the affected consumer(s) by way of adjustment against current and/or future bills for supply of electricity within ninety (90) days of failure of the Licensee to meet the guaranteed Standards of Performance.

(ii) In case of failure of power supply, the default period for the purpose of payment of compensation shall be reckoned from the time first complaint has been received and up to the time power supply has been restored allowing the margin for stipulated period of restoration.

(iii) If the licensee fails to pay compensation, the affected consumer(s) may approach the Ombudsman.

(iv) In case the claim for compensation is upheld by the Ombudsman, the compensation shall be determined by the Ombudsman at the rate of Rs. 5000/- or five times the compensation payable as per Schedule-III to these Regulations, whichever is higher.

(v) If the compensation is upheld by the Ombudsman and the Licensee still fails to pay the compensation to the affected consumer(s), the affected consumer(s) may approach the Commission under section 142 of the Act for non-compliance of directions.

(vi) The amount of compensation paid by the Licensee shall not be allowed to be recovered in the Aggregate Revenue Requirement (ARR) of the Licensee.

U. K. TYAGI, Secy.